

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०-निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-37/2025-

26678

पटना, दिनांक 13/4/26

श्री संजय कुमार भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पथ प्रमंडल, लखीसराय पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितता के लिए विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र गठित कर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत उनसे विभागीय पत्रांक-336 (एस) दिनांक 16.01.2026 के द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री भारती के विरुद्ध गठित आरोप का बिन्दु निम्नलिखित है :-

(i) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय का प्रतिवेदन पत्रांक-595 (अनु०) दिनांक 07.05.2025, जो मुख्य अभियंता, दक्षिण के पत्रांक-1931 (अनु०) दिनांक 09.06.2025 से विभाग को प्राप्त हुआ है, में प्रतिवेदित है कि IRQP Cum Output & Performance based road asset maintenance of Jamalpur-Dharhara-Kajra Road (From Piribazar to Basauni) Length 7.55 km for the year 2015-16 के कार्यों का DLP की अवधि के समाप्ति के पूर्व Price Escalation गणना/समायोजन किये बिना SD राशि का भुगतान निम्नवत किया गया :-

क्र०सं०	SD Refund की राशि	SD Refund की तिथि
1	3969616	18.06.2018
2	5136116	05.01.2021
3	2803116	01.03.2023

(ii) SD राशि के उक्त भुगतान में प्रथम Refund को छोड़कर शेष दोनों भुगतान में CMBD Clause-C41 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण संवेदक को Excess SD Refund हुआ। श्री संजय कुमार भारती, तदेन कार्यपालक अभियंता तीसरे SD Refund से संबंधित है तथा उनके लापरवाही एवं गलत मंशा के कारण संवेदक को तीसरा Excess SD Refund हुआ।

2. श्री भारती ने पत्रांक-212 अनु०, दिनांक 19.01.2026 के द्वारा अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि आलोच्य कार्य उनके पदस्थापन के पूर्व वर्ष 2014-15 में पूर्ण हो चुका था। इस कार्य में संवेदक का कुल रुपये 79,39,223/-SD के रूप में कटौती की गयी थी। दिनांक 18.06.2018 को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को जमानत की राशि का 50 प्रतिशत राशि वापस की गयी, परन्तु इसका उल्लेख उनके द्वारा रोकड़ पंजी में नहीं किया गया, जिसके कारण श्री भारती से पूर्ववती कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिनांक 05.01.2021 को रुपये 51,36,116/-संवेदक के अनुरोध पर वापस कर दिया गया। निश्चित रूप से इसका कारण संवेदक एवं SD की प्रथम किस्त वापस किये जाने के बावजूद रोकड़पंजी में अंकित नहीं किया जाना है।

2.1 श्री भारती ने अंकित किया है कि उनके पदस्थापन के बाद उनके समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में SD के राशि में से मात्र रुपये 51,36,116/- वापस किया गया है, जिसके आलोक में उनके द्वारा शेष राशि रुपये 28,03,116/- संवेदक के अनुरोध पर वापस कर दिया गया। यह तथ्य बाद में उजागर हुआ कि संवेदक को SD के राशि में से रुपये 39,69,616/- पूर्व में ही वापस कर दिया गया है एवं इसका उल्लेख रोकड़पंजी में नहीं किया गया। प्रथम कार्यपालक अभियंता, रोकड़पाल एवं संवेदक के गलती के कारण बाद के पदाधिकारियों द्वारा शेष SD राशि को वापस करने के लिए विवश

होना पड़ा। इस मामले में भुगतान के समय तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री राजेन्द्र माँझी ने Cash Book को घेरकर Refunded नहीं लिखा। फलतः तत्कालीन रोकड़पाल श्री महेश्वर प्रसाद एवं तत्कालीन लेखा पदाधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद के द्वारा बिना जाँचे परखे उपस्थापित संचिका में मेरे पूर्ववर्ती एवं मेरे द्वारा गलतफहमी में भुगतान किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन रोकड़पाल, तत्कालीन लेखा पदाधिकारी तथा संवेदक का मिलीभगत नजर आता है न कि मेरा।

श्री भारती ने अंकित किया है कि इस मामले में संवेदक को जो अधिक राशि रुपये 39,69,616/- का भुगतान हुआ था, दिनांक 29.12.2025 को कार्यपालक अभियंता, लखीसराय को वापस कर दिया गया है। राशि वापस हो जाने के बाद कोई वित्तीय क्षति का मामला नहीं बनता है।

3. श्री भारती के बचाव बयान की समीक्षा किया गया। उन्होंने यह तर्क दिया है कि 50 प्रतिशत रिफण्ड का उल्लेख तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा रोकड़पंजी में नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी अंकित किया है कि इसे Cash Book में घेरकर Refunded अंकित नहीं किया गया, जिससे अग्रेतर Refund में विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न हुई।

3.1 कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय का एतद् संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक-595 अनु०, दिनांक 07.05.2025 एवं श्री भारती के द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य में Cash Book की छायाप्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या उपरोक्त कथन का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी तथ्य का अंकन कार्यपालक अभियंता को समर्पित श्री धनंजय कुमार, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के स्पष्टीकरण उत्तर में भी किया गया है।

3.2 प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के स्पष्टीकरण उत्तर से स्पष्ट होता है कि SD Refund के दूसरे किस्त की भुगतान के लिए दुसरी संचिका उपस्थापित की गयी थी तथा इसमें प्रथम Refund की कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान तृतीय Refund के समय जो संचिका उपस्थापित की गयी, उसमें सिर्फ द्वितीय Refund की जानकारी थी तथा प्रथम Refund की जानकारी छुपाया गया था। नव प्रवृत्त CFMS में प्रथम Refund की प्रविष्टि भी नहीं की गयी थी। स्वभाविक रूप से श्री भारती के द्वारा द्वितीय Refund के आधार पर तृतीय Refund किया गया।

3.3 उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद आरोप संबंधी यह तथ्य सही है कि तृतीय Excess SD Refund में CMBD की Clause C-41 का उल्लंघन हुआ है। श्री भारती के समक्ष भुगतान हेतु उपस्थापित संचिका में उनके द्वारा पूर्व में हुए भुगतानों का बिना जाँच-परख किये, Refund किया गया, जो उनके विहित कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति कोताही का परिचायक है। इस हद तक यह आरोप प्रमाणित होता है।

सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत उपर्युक्त प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए श्री संजय कुमार भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (II) के तहत उनके सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-37/2025-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-37/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-37/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय/अवर सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 /2/3/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /श्री संजय कुमार भारती, प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-37/2025-

2668 (8) पटना, दिनांक 13/4/26

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18.04.26